

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 91/2018

दायर दिनांक: 04.10.2018

उनवान

1. देवीलाल आत्मज हरिराम जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. रत्तीराम आत्मज राधाकिशन जाति कुम्हार नि. सेमला तहसील सुनेल
2. बालचन्द आत्मज राधाकिशन जाति कुम्हार नि. सेमला तहसील सुनेल
3. कौशल्या बाई पुत्री राधाकिशन जाति कुम्हार नि. सेमला तहसील सुनेल
4. लीलावती पुत्री राधाकिशन जाति कुम्हार नि. सेमला तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

अभिभाषक वादी - श्री रमेशचन्द नागर

प्रतिवादी सं. 1 से 4 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 5 - परोकार सरकार


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

मिनजानित मुदई रूबरूX.....



ग्राम सेमला तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 364 व 584 किता 2 कुल रकबा 1.1002 है. के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेमला का फोती नामा.सं. 1485 दिनांक 23.11.2021 प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य होने से खारीज किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2018 के आधार पर विक्रेता रत्तीराम व सीताबाई की बेचानशुदा भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया




उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (सज०)

जाता है कि वे वादी की कयशुदा आराजी को ना तो कोई पश्चातवर्ती अंतरण करे और ना ही पंजीयन करें। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Signature]
19/2/26

(दिनेश कुमार खिणा (आरक्षित) नारी
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड (सज०)
जिला झालावाड राज०

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह
X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19 .02.2026 को जारी किया गया।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड (सज०)
जिला झालावाड राज०

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	



[Signature]

उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड (सज०)
जिला झालावाड राज०